भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3103

जिसका उत्तर दिनांक 29 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

ऑटो उद्योग की विनिर्माण पद्धति

3103. श्री संजय भोई:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री मानिक टैगोर:

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटो उद्योग में विनिर्माण पद्धतियों में खामियों पर रोक लगाने और उसकी गुणवत्ता मानदंड की प्रामाणिकता की जांच हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) ऑटो उद्योग में तकनीकी खामियों और वापस लेने को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क)और(ख): जी, हां। जनरल मोटर्स लि. द्वारा उत्पादित टवेरा मॉडल के वाहनों के संबंध में सूचित कंपनी द्वारा उत्पादन की अनुरूपता (सी ओ पी) का उल्लंघन, यदि कोई हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए सी ई ओ एवं पी डी, नेट्रिप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

(i) किस हद तक उल्लंघन हुआ और उसकी जिम्मेदारी/अभियोज्यता का निर्धारण करना।

(ii) उपभोक्ताओं (वाहन स्वामियों) के संरक्षण के लिए सुधार के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करना।

(iii) भविष्य में सी ओ पी उल्लंघन को रोकने का तरीका निर्धारित करना।

(ग)से(ङ): समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

*****